मां बाप पर औलाद के हुक़ूक़ का बयान

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِيْ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ

(वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़ के बारे में राहनुमाई की क़िन्दील)

तस्नीफ़ : आ'ला हज़रत, इमामे अह्ले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत
मौलाना शाह इमाम अह्मद रज़ा ख़ान عليه رحمة الرحمن

तस्हील व तख़रीज बनाम

Aulad Ke Huqooq (Hindi)

औलाद के हुक़ूक़

पेशकश : मजलिस अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)
शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत

मक-त-बतुल मदीना

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापुर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 66200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (اَلْمُسْتَطْرَف ج۱ص۴۰دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

مَشْعَلَۃُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد

येह रिसाला (مَشْعَلَۃُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد)

आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है। मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने इसे तस्हील, तल्ख़ीस और तख़्रीज के साथ बनाम **"औलाद के हुक़ूक़"** पेश किया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक-त-बतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

मां बाप पर औलाद के हुक़ूक़ के
बारे में एक जामेअ़ इस्लाही़ रिसाला

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد

(वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़ के बारे में राहनुमाई की क़िन्दील)
की तस्हील व तख़्रीज बनाम

औलाद के हुक़ूक़

तस्नीफ़ : आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن

पेशकश
मजलिस **: अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी)
शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

नाशिर
मक-त-बतुल मदीना अह़मदआबाद

www.dawateislami.net
I.T. Majlis of DawateIslami

الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ

नाम किताब : مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد

तस्हील व तख़्रीज बनाम : औलाद के हुक़ूक़

मुसन्निफ़ : आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُالرَّحْمٰن

पेशकश : मजलिस अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत عَلَیْہِ رَحْمَۃُالرَّحْمٰن)

सिने त़बाअ़त : ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम 1434 सि.हि.

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना, अह़मदआबाद-1

मक-त-बतुल मदीना की शाख़ें

मुम्बई : 19,20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुह़म्मद अ़ली सराय रोड (C / 0) जामिअ़तुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपुर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे़ दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली – 580024. फ़ोन : 09343268414

ह़ैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फोन : 040-24572786

म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ और अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحۡسَانِہٖ وَبِفَضۡلِ رَسُوۡلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मेरे वलिय्ये ने'मत, मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल ब-र-कत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिदअ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइ़से खै़रो ब-र-कत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अलह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम **अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَیۡہِ رَحۡمَۃُ الرَّحۡمٰن बे मिसाल ज़िहानत व फ़त़ानत, कमाल द-रजा फ़क़ाहत और क़दीम व जदीद उ़लूम में कामिल दस्त-रस व महारत रखते थे। आप رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ की तक़रीबन एक हज़ार कुतुब आप رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ के पचपन (55) से ज़ाइद उ़लूम व फ़ुनून में तबह़्हुरे इ़ल्मी पर दाल्ल हैं।

आप رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ की जिन क़लमी काविशों को बैनल अक़्वामी शोहरत ह़ासिल हुई उन में "कन्ज़ुल ईमान", "ह़दाइक़े बख़्शिश" और "फ़तावा र-ज़विय्या" (तख़रीज शुदा 33 जिल्दें) भी शामिल हैं, आख़िरुज़्ज़िक्र तो उ़लूम व फ़ुनून का ऐसा बह़्रे बे करां है जो बे शुमार व मुस्तनद मसाइल और तह़क़ीक़ाते नादिरा को अपने अन्दर समोए हुए है, जिसे पढ़ कर क़द्रदान इन्सान बे साख़्ता पुकार उठता है कि इमामे अहले सुन्नत رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ, सय्यिदुना इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ की मुज्तहिदाना बसीरत का परतौ हैं। आप رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ की कुतुब रहती दुन्या तक मुसल्मानों के लिये मश्अ़ले राह हैं। हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन को चाहिये कि सरकारे आ'ला ह़ज़रत رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ की जुम्ला तसानीफ़ का ह़स्बे इस्तित़ाअ़त ज़रूर मुत़ा-लआ़ करे।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक

“**दा'वते इस्लामी**” नेकी की दा'वत, एह्याए सुन्नत और इशाअ़ते इल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअ़द्दद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “**अल मदीनतुल इल्मिय्या**” भी है जो **दा'वते इस्लामी** के उ़-लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तह्क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छ^6 शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه (2) शो'बए दर्सी कुतुब
(3) शो'बए इस्लाही कुतुब (4) शो'बए तराजिमे कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब (6) शो'बए तख़रीज

“**अल मदीनतुल इल्मिय्या**” की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه की गिरां माया तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वुस्अ़ सह्ल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तह्क़ीक़ी और इशाअ़ती म-दनी काम में हर मुम्किन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ा-लआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ “**दा'वते इस्लामी**” की तमाम मजालिस ब शुमूल “**अल मदीनतुल इल्मिय्या**” को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़ता फ़रमाए और हमारे हर अ़-मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में सरकार صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का पड़ोस नसीब फ़रमाए।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّی اللّٰه تعالٰی علیه واٰله وسلّم

र-मज़ानुल मुबारक 1425 हि.

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

पेशे लफ़्ज़

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त इन्सान को वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाता है :

﴿وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْسٰنًا﴾ (پ۲۶،سورۃ الاحقاف:۱۵)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : "और हम ने आदमी को हुक्म किया कि अपने मां बाप से भलाई करे।"

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن कुरआनो ह़दीस की रोशनी में निहायत अह़सन अन्दाज़ में वालिदैन के हुक़ूक़ बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं :

"बिल जुम्ला वालिदैन का ह़क़ वोह नहीं कि इन्सान उस से कभी ओ़हदा बरआ हो वोह इस के ह़यात व वुजूद के सबब हैं तो जो कुछ ने'मतें दीनी या दुन्यवी पाएगा सब उन्हीं के तुफ़ैल में हुईं कि हर ने'मत व कमाल, वुजूद पर मौक़ूफ़ है और वुजूद के सबब वोह हुए तो सिर्फ़ मां बाप होना ही ऐसे अ़ज़ीम ह़क़ का मूजिब है जिस से बरिय्युज़्ज़िम्मा कभी नहीं हो सकता, न कि उस के साथ इस की परवरिश में उन की कोशिशें, इस के आराम के लिये उन की तक्लीफ़ें ख़ुसूसन पेट में रखने, पैदा होने, दूध पिलाने में मां की अज़िय्यतें, उन का शुक्र कहां तक अदा हो सकता है। ख़ुलासा येह कि वोह इस के लिये अल्लाह व रसूल جَلَّ جَلَالُهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم के साए और उन की रबूबिय्यत व रह़मत के मज़्हर हैं, व लिहाज़ा "कुरआने अ़ज़ीम" में अल्लाह جَلَّ جَلَالُهٗ ने अपने ह़क़ के साथ उन का ज़िक्र फ़रमाया कि : ﴿اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ﴾ "ह़क़ मान मेरा और अपने मां बाप का" (پ۲۱، لقمان:۱۴)।

हदीस शरीफ़ में है कि एक सहाबी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने हाज़िर हो कर अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह ! एक राह में ऐसे गर्म पथ्थरों पर कि अगर गोश्त उन पर डाला जाता कबाब हो जाता, मैं छ (6) मील तक अपनी मां को गरदन पर सुवार कर के ले गया हूं, क्या मैं अब उस के हक़ से बरी हो गया ? रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ((لعلّه ان يكون بطلقة واحدة))، رواه الطبرانی فی "الاوسط" عن بريدة رضی اللّٰه تعالٰی عنه. । तेरे पैदा होने में जिस क़दर दर्दों के झटके उस ने उठाए हैं शायद उन में से एक झटके का बदला हो सके।" (फ़तावा र-ज़विय्या, जिल्द : 24, स. 401, 402, रज़ा फ़ाउन्डेशन लाहोर)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यक़ीनन वालिदैन के हुक़ूक़ निहायत आ'ज़म व अहम हैं कि अगर वालिदैन के हुक़ूक़ की अदाएगी में इन्सान तमाम ज़िन्दगी मस्रूफ़े अ़मल रहे तब भी इन के हुक़ूक़ की अदाएगी से कमा ह़क़्क़ुहू सुबुक दोश नहीं हो सकता क्यूं कि वालिदैन के हुक़ूक़ ऐसे नहीं कि चन्द बार या कई बार अदा कर देने से इन्सान बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाए। लेकिन जहां शरीअ़ते मुत़ह्हरा ने वालिदैन की इ़ज़्ज़त व अ़-ज़मत और मक़ाम व मर्तबा बयान करते हुए इन के हुक़ूक़ की अदाएगी का हुक्म दिया वहीं वालिदैन पर भी औलाद के कुछ हुक़ूक़ गिनवाए हैं।

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ने जहां अपनी ज़बान व क़लम के ज़रीए़ बाति़ल क़ुव्वतों का डट कर मुक़ाबला फ़रमाया, कुफ़्रो इरतिदाद का क़ल्अ़ क़म्अ़ किया, बिदआ़त व मुन्किरात का रद फ़रमाया, क़ुलूबे मुस्लिमीन को इ़श्क़े रसूल صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم से गर्माया, वहीं वक़्तन फ़ वक़्तन मुसल्मानों की इस्लाह़ के पेशे नज़र आ़इली मुआ़-मलात हों या ख़ानदानी, हुक़ूक़ुल्लाह की अदाएगी हो या हुक़ूक़ुल इ़बाद की, हर एक मौज़ूअ़ पर वा'ज़ व तब्लीग़ के ज़रीए़ रहनुमाई फ़रमाते रहे। ज़ेरे नज़र रिसाला "مَشْعَلَۃُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد" भी इसी सिल्सिले की एक कड़ी है जिस में आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने "हुक़ूक़े औलाद" जैसे

अहम मौज़ूअ़ पर क़लम उठाया और तफ़्सील से बयान फ़रमाया कि वालिदैन पर भी औलाद के हुक़ूक़ हैं। अगर्चे इन हुक़ूक़ में से अक्सर की अदाएगी वालिदैन पर वाजिब नहीं लेकिन अगर वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबिय्यत करना, इन्हें सच्चा मुसल्मान बनाना, दुन्या व आख़िरत में इन्हें काम्याब व कामरान देखना और ख़ुद भी सुर्ख़-रू होना चाहते हैं तो फिर इन हुक़ूक़ का ख़याल रखना होगा। आप رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه का येह रिसाला भी इल्म का ख़ज़ाना है जिस में आप رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه ने तरबिय्यते औलाद से मु-तअ़ल्लिक़ तक़रीबन अस्सी (80) हुक़ूक़ अह़ादीसे मरफ़ूआ़ की रोशनी में सिर्फ़ चन्द सफ़ह़ात में बयान फ़रमा कर गोया दरिया को कूज़े में बन्द कर दिया, येह भी आप رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه के क़लम का कमाल है कि कई सफ़ह़ात पर फैली अब्ह़ास को चन्द अवराक़ में बयान फ़रमा देते हैं।

इस रिसाले की इन्ही ख़ुसूसियात के पेशे नज़र **मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने इस बात का इरादा किया कि आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُالرَّحْمٰن की इस ज़बर दस्त इस्लाही़ तह़रीर को भी अ़वाम व ख़वास इस्लामी भाइयों की ख़िदमत में पेश किया जाए, चुनान्चे "शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُاللّٰهِ عَلَيْه" के म-दनी इस्लामी भाइयों ने बड़ी मेह़नत व लगन से तस्हील, तह़श्शी और तख़्रीज वग़ैरा का काम किया, जिस का अन्दाज़ा ज़ैल में दी गई काम की तफ़्सील से लगाया जा सकता है :

1. आयात व अह़ादीस और दीगर इबारात के ह़वाला जात की मक़्दूर भर तख़्रीज की गई है।

2. जगह जगह अ़-रबी अल्फ़ाज़ और मुश्किल कलिमात की तस्हील कर दी गई है ताकि "रिसाले" में बयान किये गए मसाइल ब आसानी समझे जा सकें।

3. इसी त़रह़ ब क़द्रे ज़रूरत ह़ाशिये में शर-ई मसाइल बयान कर दिये गए हैं।

4. इस्लामी भाइयों की सहूलत के पेशे नज़र इस्तिलाह़ाते फ़िक़्हिय्यह की ता'रीफ़ात अ़-रबी किताबों से अ़-रबी मतन मअ़ तरजमा, आसान अन्दाज़ में बयान करने की भी सअ़्य की गई है।

5. नई गुफ़्त-गू नई सत़र में दर्ज की गई है ताकि पढ़ने वालों को ब आसानी मसाइल समझ आ सकें।

6. आयाते क़ुरआनिया को मुनक़्क़श ब्रेकेट ﴿ ﴾, मतने अह़ादीस को डबल ब्रेकेट (( )), किताबों के नाम और दीगर अहम इ़बारात को इन्वरटेड कोमाज़ " " से वाज़ेह़ किया गया है।

7. आख़िर में मआख़िज़ो मराजेअ़ की फ़ेहरिस्त, मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के नाम, उन की सिने वफ़ात और मत़ाबेअ़ के साथ ज़िक्र कर दी गई है।

इस कोशिश में आप इस्लामी भाइयों को जो ख़ूबियां दिखाई दें वोह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की अ़त़ा, उस के प्यारे ह़बीब नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की नज़रे करम, उ़-लमाए किराम رَحِمَهُمُ الله और बिल ख़ुसूस शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी دَامَ ظِلُّهُ الْعَالِی के फ़ैज़ से हैं और जो ख़ामियां नज़र आएं उन में यक़ीनन हमारी कोताही है।

क़ारिईन ख़ुसूसन उ़-लमाए किराम دَامَتْ فُیُوْضُهُم से गुज़ारिश है कि इस कोशिश के मे'यार को मज़ीद बेहतर बनाने के बारे में हमें अपनी क़ीमती आरा और तजावीज़ से तह़रीरी त़ौर पर मुत्तलअ़ फ़रमाएं। दुआ़ है कि अल्लाह तआ़ला इस "रिसाले" को अ़वाम व ख़वास के लिये नफ़्अ़ बख़्श बनाए! اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَکَ وَسَلَّم

शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

नम्बर शुमार	फ़ेहरिस्त मौज़ूआत	सफ़्हा नम्बर
1	साइल : मिरज़ा हामिद हसन...	12
2	बाप पर बेटे का हक़ किस क़दर है, और अगर वोह अदा न करे तो उस के लिये हुक्मे शर-ई क्या है ?	12
3	अल जवाब...	12
4	अल्लाह तआला ने वालिद का हक़ वलद पर निहायत आ'ज़म बताया यहां तक कि अपने हक़ के बराबर इस का ज़िक्र फ़रमाया..........................	12
5	लफ़्ज़े "वलद" बेटा और बेटी दोनों को शामिल है..........................	12
6	बेटा और बेटी बाप की सब से ज़ियादा ख़ुसूसी तवज्जोह के हक़दार हैं	13
7	जिस क़दर ख़ुसूस ज़ियादा होता जाता है हक़ उसी क़दर मज़्बूत होता जाता है..	13
8	हदीसे मरफ़ूअ़ की ता'रीफ़...	13
9	अस्सी (80) हुक़ूक़े औलाद की फ़ेहरिस्त जो अहादीसे मरफ़ूआ़ से मुसन्निफ़ عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने तय्यार फ़रमाई है..	14
10	आदमी अपना निकाह रज़ील क़ौम में न करे बल्कि दीनदार लोगों में करे....	14
11	आदाबे सोहबत का बयान..	14
12	उम्मुस्सिब्यान का मा'ना ?...	15
13	बच्चे के पैदा होते ही दाएं कान में अज़ान और बाएं में इक़ामत कही जाए, छुहारा वग़ैरा कोई मीठी चीज़ चबा कर उस के मुंह में डाली जाए..........	15
14	सातवें, चौदहवें या इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा किया जाए.........................	15
15	लड़के और लड़की के अक़ीक़े की तफ़्सील......................................	15
16	सर के बाल उतरवा कर उन के बराबर चांदी ख़ैरात की जाए और बच्चे के सर पर ज़ा'फ़रान लगाया जाए...	16

www.dawateislami.net
IT Majlis of Dawateislami

17	बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए यहां तक कि कच्चे बच्चे का भी	16
18	नामे "मुह़म्मद" की ब-रकात..	16
19	जब बच्चे का नाम मुह़म्मद रखा जाए तो उस का एह़तिराम किया जाए.....	17
20	बच्चे को नमाज़ी सालिह़ा शरीफ़ुल क़ौम औ़रत से दूध पिलवाया जाए......	17
21	अपने ह़वाइज से जो बचे उस में मोह़ताज अक़्रिबा को शामिल करे, पहला ह़क़ अहले ख़ाना का है..	18
22	ह़लाल रोज़ी बच्चे को दे और औलाद को छोड़ कर अकेले न खाए.........	18
23	बच्चों से प्यार करे और उन की दिलजूई को मल्ह़ूज़ रखे.....................	18
24	नया फल पहले बच्चों को दे और कभी कभार ह़स्बे मिक़्दार उन्हें शीरीनी वग़ैरा खिलाए..	18
25	बहलाने के लिये बच्चों से झूटा वा'दा न करे..................................	18
26	जो कुछ दे सब बच्चों को बराबर दे..	18
27	वोह सूरत जिस में बा'ज़ औलाद को बा'ज़ पर तरजीह़ देना जाइज़ है......	19
28	बीमार होने पर बच्चों का मुनासिब इलाज कराए................................	19
29	बच्चे को ज़बान खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर कलिमए त़य्यिबा और तमीज़ आने पर मुकम्मल आदाब सिखाए......................................	19
30	बेटी को शोहर की इत़ाअ़त की तल्क़ीन करे, क़ुरआन पढ़ाए और तिलावत की ताकीद करे..	19
31	औलाद को अ़क़ाइदे इस्लाम व सुन्नते रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और आप के आल व अस्ह़ाब की मह़ब्बत व ता'ज़ीम सिखाए.....................	20
32	बच्चा सात बरस का हो तो उस को नमाज़ की तल्क़ीन करे, इल्मे दीन पढ़ाए.....	20
33	तवक्कुल, क़नाअ़त व ज़ोह्द वग़ैरहा की ता'रीफ़ात............................	20

34	हि़र्स, हुब्बे जाह, रिया वग़ैरहा की ता'रीफ़ात..................................	22
35	खेलने का वक़्त दे मगर बुरी सोह़बत से बचाए..............................	24
36	बच्चा जब दस साल का हो तो मार कर नमाज़ पढ़ाए..........................	25
37	दस बरस के बच्चों के बिछोने अलग कर दे, जवान होने पर नेक सीरत औ़रत से शादी कराए..	25
38	जवान औलाद से नर्मी के ज़रीए़ काम ले, उन के लिये तर्का छोड़े, मीरास से औलाद को मह़रूम न करे..	25
39	ख़ास बेटे के पांच हुक़ूक़..	26
40	ख़ास बेटी के पन्दरह हुक़ूक़...	26
41	किताबते निस्वां से मु-तअ़ल्लिक़ वज़ाह़त..	26
42	इन में अक्सर हुक़ूक़ मुस्तह़ब हैं जिन के छोड़ देने पर अस्लन गिरिफ़्त नहीं जब कि बा'ज़ हुक़ूक़ ऐसे भी हैं जिन के छोड़ देने पर आख़िरत में मुता़-लबा होगा..	27
43	कुफ़ू और इस से मु-तअ़ल्लिक़ चन्द मसाइल..	27
44	महरे मिस्ल का बयान..	29

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

रिसाला

مَشْعَلَةُ الْاِرْشَادِ فِیْ حُقُوْقِ الْاَوْلَاد

(वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़ के बारे में राहनुमाई की क़िन्दील)

मस्अला : अज़ सोरोन, ज़िलअ़ एटा मह़ल्ला मलिक ज़ादगान, मुरसिलुह (सुवाल भेजने वाले) मिरज़ा ह़ामिद ह़सन साह़िब 7 जुमादल ऊला 1310 हि.

क्या फ़रमाते हैं उ़-लमाए दीन इन मसाइल में कि बाप पर बेटे का किस क़दर ह़क़ है, अगर है और वोह अदा न करे तो उस के वासिते़ हुक्मे शर-ई क्या है ? मुफ़स्सल तौ़र पर इरक़ाम (या'नी तफ़्सील के साथ बयान) फ़रमाइये । بَیِّنُوْا تُؤْجَرُوْا (बयान फ़रमाइये, अज्र पाइये) ।

अल जवाब

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने अगर्चे वालिद का ह़क़ वलद[1] पर निहायत आ'ज़म बताया (या'नी बाप का ह़क़ बच्चे पर बहुत ही अ़ज़ीम बताया) यहां तक कि अपने ह़क़ के बराबर इस का ज़िक्र फ़रमाया कि[2] ﴿اَنِ اشْکُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْکَ﴾ ह़क़ मान मेरा और अपने मां बाप का, मगर वलद का ह़क़ भी वालिद पर अ़ज़ीम रखा है कि वलद मुत़्लक़ इस्लाम, फिर ख़ुसूसे जवार, फिर ख़ुसूसे क़राबत, फिर ख़ुसूसे इयाल, इन सब हुक़ूक़ का जामेअ़ हो कर सब से

---

1. जैसा कि सुवाल से ज़ाहिर है कि साइल ने बाप पर बेटे के मु-तअ़ल्लिक़ हुक़ूक़ पूछे जिस के जवाब में हुक़ूक़ बयान करते हुए आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने लफ़्ज़ ''वलद'' इस्ति'माल फ़रमाया जो बेटा और बेटी दोनों ही को शामिल है, والولداسم یجمع الواحدوالکثیروالذکروالانثی کما فی "لسان العرب"، المجلدالثانی،ص ۴۳۵۳, इस लिये कि बेटे और बेटी के हुक़ूक़ तक़रीबन एक ही त़रह़ के हैं सिवाए चन्द के, जिन की मुकम्मल तफ़्सील आप رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ने बयान फ़रमा दी ।

2. (پ:۲۱، لقمان:۱۴)

ज़ियादा ख़ुसूसिय्यते ख़ास्सा रखता है[1] और जिस क़दर ख़ुसूस बढ़ता जाता है हक़ अशद व आकद (हक़ उसी क़दर मुस्तहकम और मज़्बूत तर) होता है । उ-लमाए किराम ने अपनी कुतुबे जलीला (ज़ी शान किताबों) मिस्ले : "एहयाउल उ़लूम" व "ऐनुल उ़लूम" व "मुदख़ल" व "कीमियाए सआदत" व "ज़ख़ी-रतुल मलूक" वग़ैरहा में हुक़ूके वलद से निहायत मुख़्तसर तौर पर कुछ तअर्रुज़ फ़रमाया (या'नी : इन मज़्कूरा किताबों में उ-लमाए किराम رحمهم الله تعالى ने बच्चों के हुक़ूक़ पर बहुत ही कम कलाम फ़रमाया) मगर मैं सिर्फ़ अहादीसे मरफ़ूअ़ए हुज़ूरे पुरनूर, सय्यिदे दो आ़लम صلى الله تعالى عليه وسلم[2] (हुज़ूरे पुरनूर, सय्यिदे दो आ़लम صلى الله تعالى عليه واله وسلم की मरफ़ूअ़ हदीसों) की त़रफ़ तवज्जोह करता हूं ।

फ़ज़्ले इलाही جل وعلا से उम्मीद कि फ़क़ीर की येह चन्द हर्फ़ी तहरीर ऐसी नाफ़ेअ़ व जामेअ़ वाक़ेअ़ हो (ऐसी कामिल और फ़ाएदा मन्द साबित होगी) कि इस की नज़ीर कुतुबे मुत़व्वला (बड़ी बड़ी किताबों) में न मिले इस बारे में जिस क़दर हदीसें بحمد الله تعالى इस वक़्त मेरे ह़ाफ़िज़ा व नज़र में हैं उन्हें बित्तफ़्सील मअ़ तख़रीजात लिखे (अगर इन अहादीस को तफ़्सील के साथ ब ह़वाला लिखूं) तो एक रिसाला होता है और ग़रज़ सिर्फ़ इफ़ादए अह़काम (जब कि मक़्सूद सिर्फ़ अहकामे शरइय्या से आगाह करना है), लिहाज़ा सरे दस्त फ़क़त (इस वक़्त सिर्फ़) वोह हुक़ूक़ कि येह ह़दीसें इर्शाद फ़रमा रही हैं कमाले तल्ख़ीस व इख़्तिसार के साथ शुमार करूं (या'नी मुख़्तसर तौर पर ह़दीसों का मुकम्मल ख़ुलासा पेश करता हूं) وبالله التوفيق :

---

1. कि बेटा और बेटी आ़म तौर पर मुसल्मान होने, फिर ख़ास पड़ोसी होने, फिर क़रीबी रिश्तेदार होने और बिल ख़ुसूस उसी के कुम्बे में होने की वजह से बाप की सब से ज़ियादा ख़ुसूसी तवज्जोह के ह़क़दार हैं ।

2. **ह़दीसे मरफ़ूअ़ :** هو ماينتهى الى النبى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم غاية الاسناد या'नी : "वोह ह़दीस जिस की सनद नबिय्ये करीम صلى الله تعالى عليه وسلم तक पहुंचती हो ह़दीसे मरफ़ूअ़ कहलाती है ।" ("نزهة النظر"، ص١٠٤)

(1) सब से पहला ह़क़ वुजूदे औलाद (औलाद की पैदाइश) से भी पहले येह है कि आदमी अपना निकाह़ किसी रज़ील कम क़ौम (नीच ज़ात) से न करे कि बुरी रग (बुरी नस्ल) ज़रूर रंग लाती है।

(2) दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना व मामूं की आ़दात व अफ़्आ़ल का भी असर पड़ता है।

(3) ज़ंगियों ह़ब्शियों (काले रंग वाले शीदी लोगों) में क़राबत न करे कि मां का सियाह रंग बच्चे को बदनुमा न कर दे।

(4) जिमाअ़ की इब्तिदा بِسْمِ الله से करे वरना बच्चे में शैत़ान शरीक हो जाता है।[1]

(5) उस वक़्त शर्मगाहे ज़न (औ़रत के मख़्सूस मक़ाम) पर नज़र न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्देशा है।

---

1. ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है फ़रमाते हैं कि नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जब तुम में से कोई अपनी बीवी से क़ुर्बत का इरादा करे तो येह दुआ़ पढ़े : "بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا" या'नी : "अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह ! हमें शैत़ान से मह़फ़ूज़ रख और जो (औलाद) तू हमें दे इस को भी शैत़ान से मह़फ़ूज़ रख।" तो अगर इस सोह़बत में उन के नसीब में बच्चा हुवा तो उसे शैत़ान कभी नुक़्सान न दे सकेगा।"।

("صحیح البخاری"، کتاب الدعوات، باب مایقول اذاأتی اهله، ج٤، ص٢١٤، الحدیث: ٦٣٨٨)

इस ह़दीसे मुबा-रका की तशरीह़ में मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه इर्शाद फ़रमाते हैं :

"येह दुआ़ सित्र खोलने से पहले पढ़े।" फिर फ़रमाते हैं : "उस सोह़बत में न शैत़ान शरीक हो और न बच्चे को शैत़ान कभी बहकाए, بِسْمِ الله से मुराद पूरी بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم है, ख़याल रहे कि जैसे शैत़ान खाने पीने में हमारे साथ शरीक हो जाता है ऐसे ही सोह़बत में भी, और जैसे खाने पीने की ब-र-कत शैत़ान की शिर्कत से जाती रहती है ऐसे ही सोह़बत में शैत़ान की शिर्कत से औलाद ना लाइक़ और जिन्नाती बीमारियों में गिरिफ़्तार रहती है और जैसे بِسْمِ الله पढ़ लेने से शैत़ान खाने पीने में हमारे साथ शरीक नहीं हो सकता ऐसे ही بِسْمِ الله की ब-र-कत से सोह़बत में शैत़ान की शिर्कत नहीं होती जिस से बच्चा नेक होता है और आसेब वग़ैरा से भी بِفَضْلِہٖ تَعَالٰی मह़फ़ूज़ रहता है, बेहतर येह है ख़ावन्द बीवी दोनों पढ़ लें।" ("मिरआतुल मनाजीह़", जि. 4, स. 30, 31)

(6) ज़ियादा बातें न करे कि गूंगे या तोतले होने का ख़त़रा है ।

(7) मर्द व ज़न कपड़ा ओढ़ लें जानवरों की त़रह़ बरह्ना न हों कि बच्चे के बे ह़या होने का ख़दशा है ।

(8) जब बच्चा पैदा हो फ़ौरन सीधे कान में अज़ान बाएं में तक्बीर कहे[1] कि ख़–लले शैत़ान (शैत़ानी वस्वसे) व ''उम्मुस्सिब्यान''[2] से बचे ।

(9) छुहारा वग़ैरा कोई मीठी चीज़ चबा कर उस के मुंह में डाले कि ह़लावत, अख़्लाक़ की फ़ाले ह़सन है (या'नी मिठास, अख़्लाक़ के अच्छे होने में नेक शगुन है) ।

(10) सातवें और न हो सके तो चौदहवें वरना इक्कीसवें दिन अ़क़ीक़ा करे, दुख़्तर (बेटी) के लिये एक, पिसर (बेटे) के लिये दो कि इस में बच्चे का गोया रह्न (गिरवी) से छुड़ाना है ।[3]

---

1. बेहतर येह है कि दहने कान में चार मर्तबा अज़ान और बाएं में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाए । (''बहारे शरीअ़त'', जिल्द : 3, ह़िस्सा : 15, स. 153)

2. उम्मुस्सिब्यान : ''एक क़िस्म की मिर्गी है जो अक्सर बच्चों को बल्ग़म की ज़ियादती और मे'दे की ख़राबी से लाह़िक़ होती है जिस से बच्चों के हाथ पाउं टेढ़े हो जाते और मुंह से झाग निकलने लगता है ।'' (''फ़रहंगे आसिफ़िया'', जिल्द : 1, स. 221)

3. सदरुश्शरीअ़ह बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ''बहारे शरीअ़त'' में फ़रमाते हैं : ''गिरवी होने का येह मत़्लब है कि उस (बच्चे) से पूरा नफ़्अ़ ह़ासिल न होगा जब तक अ़क़ीक़ा न किया जाए और बा'ज़ ने कहा : बच्चे की सलामती और उस की नश्वो नुमा और उस में अच्छे औसाफ़ (ख़ूबियां) होना अ़क़ीक़े के साथ वाबस्ता हैं ।'' मज़ीद इर्शाद फ़रमाते हैं : ''लड़के के अ़क़ीक़े में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़ब्ह़ की जाए या'नी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है और लड़के के अ़क़ीक़े में बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी ह़रज नहीं और अ़क़ीक़े में गाय ज़ब्ह़ की जाए तो लड़के के लिये दो ह़िस्से और लड़की के लिये एक ह़िस्सा काफ़ी है, या'नी सात ह़िस्सों में दो ह़िस्से या एक ह़िस्सा ।'' नीज़ इसी में है : ''लड़के के अ़क़ीक़े में दो बकरियों की जगह एक ही बकरी किसी ने की तो येह भी जाइज़ है ।'' (''बहारे शरीअ़त'', जिल्द : 3, ह़िस्सा : 15, स. 154, 155) ।

नोट : मज़ीद तफ़्सील के लिये अमीरे अहले सुन्नत مَدَّظِلُّہُ الۡعَالِی का रिसाला : ''**अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब**'' मुत़ा–लआ़ कीजिये ।

(11) एक रान दाई को दे कि बच्चे की त़रफ़ से शुक्राना है ।

(12) सर के बाल उतरवाए ।

(13) बालों के बराबर चांदी तोल कर ख़ैरात करे ।

(14) सर पर ज़ा'फ़रान लगाए ।

(15) नाम रखे यहां तक कि कच्चे बच्चे का भी जो कम दिनों का गिर जाए वरना अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के यहां शाकी होगा (शिकायत करेगा) ।

(16) बुरा नाम न रखे कि बद फ़ाल, बद है (कि बुरा शगुन बुरा है) ।

(17) अ़ब्दुल्लाह, अ़ब्दुर्रह़मान, अह़मद, ह़ामिद वग़ैरहा इ़बादत व ह़म्द के नाम[1] या अम्बिया, औलिया या अपने बुज़ुर्गों में जो नेक लोग गुज़रे हों उन के नाम पर नाम रखे कि मूजिबे ब-र-कत (बाइ़से ब-र-कत) है ख़ुसूसन नामे पाक "**मुह़म्मद**" صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم कि इस मुबारक नाम की बे पायां ब-र-कत बच्चे के दुन्या व आख़िरत में काम आती है ।[2]

---

1. या'नी जिन नामों में बन्दे की निस्बत इस्मे जलालत या'नी "अल्लाह" عَزَّوَجَلَّ या उस के सिफ़ाती नामों की त़रफ़ हो या जिस नाम में ह़म्द का मा'ना हो ।

2. **नामे मुह़म्मद की ब-रकात**

(1) ह़ज़रते अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ((من ولد له مولودٌ ذكرٌ، فسمّاه مُحَمَّدًا حُبًّا لي وتبرّكًا باسمي، كان هوومولوده في الجنة)). या'नी : "जिस के लड़का पैदा हो और वोह मेरी मह़ब्बत और मेरे नामे पाक से ब-र-कत ह़ासिल करने के लिये उस का नाम मुह़म्मद रखे, तो वोह और उस का लड़का दोनों जन्नत में जाएंगे ।" ("كنزالعمال"، كتاب النكاح، ج ٨، الجزء ١٦، ص ١٧٥، الحديث: ٤٥٢١٥)

(2) ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم इर्शाद फ़रमाते हैं : रोज़े क़ियामत दो शख़्स अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त के ह़ुज़ूर खड़े किये जाएंगे हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ, अ़र्ज़ करेंगे : =

(18) जब मुह़म्मद नाम रखे तो उस की ता'ज़ीम करे।

(19) मजलिस में उस के लिये जगह छोड़े।

(20) मारने बुरा कहने में एह़तियात़ रखे।

(21) जो मांगे बर वज्हे मुनासिब (अच्छे त़रीक़े से) दे।

(22) प्यार में छोटे लक़ब बे क़द्र नाम न रखे कि पड़ा हुवा नाम मुश्किल से छूटता है।

(23) मां ख़्वाह नेक दाया नमाज़ी सालिह़ा शरीफ़ुल क़ौम से दो साल तक दूध पिलवाए।

(24) रज़ील या बद अफ़्आल औ़रत (बुरे काम करने वाली औ़रत) के दूध से बचाए कि दूध त़बीअ़त को बदल देता है।

(25) बच्चे का न-फ़क़ा (बच्चे के खाने, पीने, कपड़े वग़ैरा के अख़्राजात और) उस की ह़ाजत के सब सामान मुहय्या करना ख़ुद वाजिब है जिन में ह़िफ़ाज़त भी दाख़िल।

= इलाही ! हम किस अ़मल की बदौलत जन्नत के क़ाबिल हुए हम ने तो कोई काम जन्नत का नहीं किया ? अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाएगा : जन्नत में जाओ मैं ने क़सम इर्शाद फ़रमाई है कि जिस का नाम अह़मद या मुह़म्मद हो दोज़ख़ में न जाएगा।

("مسندالفردوس" للدیلمی، ج۲، ص۵۰۳، الحدیث: ۸۵۱۵)

(3) ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कहते हैं कि सरकार صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया :

((ما من مائدة وضعت فحضر علیها من اسمه احمد او محمد الّا قدّس ذلك المنزل كلّ یوم مرتین))

या'नी : "जिस दस्तर ख़्वान पर कोई अह़मद या मुह़म्मद नाम का हो, तो उस जगह पर हर रोज़ दो बार ब-र-कत नाज़िल की जाएगी।"

("مسندالفردوس" للدیلمی، ج۲، ص۳۲۳، الحدیث: ۶۵۲۵)

नोट : मुह़म्मद नाम रखने के मज़ीद फ़ज़ाइलो ब-रकात "फ़तावा र-ज़विय्या" जिल्द 24, सफ़्ह़ा 686 पर और "बहारे शरीअ़त", जि. 3, ह़िस्सा 16, स. 210, 211 पर मुला-ह़ज़ा फ़रमाएं।

(26) अपने ह़वाइज व अदाए वाजिबाते शरीअ़त[1] से जो कुछ बचे उस में अ़ज़ीज़ों, क़रीबों, मोह़ताजों, ग़रीबों (में) सब से पहले ह़क़, इयाल व अत़्फ़ाल (अहले ख़ाना) का है, जो उन से बचे वोह औरों को पहुंचे।

(27) बच्चे को पाक कमाई से पाक रोज़ी दे कि नापाक माल नापाक ही आ़दतें लाता है।

(28) औलाद के साथ तन्हा ख़ोरी न बरते (औलाद को छोड़ कर अकेले न खाए) बल्कि अपनी ख़्वाहिश को उन की ख़्वाहिश के ताबेअ़ रखे जिस अच्छी चीज़ को उन का जी चाहे उन्हें दे कर उन के तु़फ़ैल में आप भी खाए, ज़ियादा न हो तो उन्हीं को खिलाए।

(29) ख़ुदा की इन अमानतों के साथ मह्रो लुत़्फ़ (शफ़्क़त व मह़ब्बत) का बरताव रखे, इन्हें प्यार करे, बदन से लिपटाए, कन्धे पर चढ़ाए।

(30) इन के हंसने, खेलने, बहलने की बातें करे, इन की दिलजूई, दिलदारी, रिआ़यत व मुह़ा-फ़ज़त हर वक़्त ह़त्ता कि नमाज़ व ख़ुत़्बा में भी मल्ह़ूज़ रखे।

(31) नया मेवा, नया फल पहले इन्हीं को दे कि वोह भी ताज़े फल हैं नए को नया मुनासिब है।

(32) कभी कभी ह़स्बे मक़्दूर (ह़स्बे इस्तित़ाअ़त) इन्हें शीरीनी वग़ैरा खाने, पहनने, खेलने की अच्छी चीज़ (जो) कि शरअ़न जाइज़ है, देता रहे।

(33) बहलाने के लिये झूटा वा'दा न करे बल्कि बच्चे से भी वा'दा वोही जाइज़ है जिस को पूरा करने का क़स्द (इरादा) रखता हो।

(34) अपने चन्द बच्चे हों तो जो चीज़ दे सब को बराबर व यक्सां दे, एक

---

1. अपनी ज़रूरिय्यात और शरीअ़ते मुत़ह्हरा के मुक़र्रर कर्दा वाजिबात की अदाएगी म-सलन : ज़कात, स-द-क़ए फ़ित्र और क़ुरबानी वग़ैरा।

को दूसरे पर बे फ़ज़ीलते दीनी (दीनी फ़ज़ीलत के बिग़ैर) तरजीह़ न दे।[1]

(35) सफ़र से आए तो उन के लिये कुछ तोह़फ़ा ज़रूर लाए।

(36) बीमार हों तो इ़लाज करे।

(37) ह़त्तल इम्कान सख़्त व मूज़ी (तक्लीफ़ देह) इ़लाज से बचाए।

(38) ज़बान खुलते ही "अल्लाह अल्लाह", फिर पूरा कलिमा : "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" फिर पूरा कलिमए त़य्यिबा सिखाए।

(39) जब तमीज़ आए अदब सिखाए, खाने, पीने, हंसने, बोलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, ह़या, लिह़ाज़, बुज़ुर्गों की ता'ज़ीम, मां बाप, उस्ताद और दुख़्तर को शोहर के भी इत़ाअ़त के त़ुरुक़ व आदाब (त़ौर त़रीक़े) बताए।

(40) क़ुरआने मजीद पढ़ाए।

(41) (लड़के को) उस्ताद नेक, सालेह़, मुत्तक़ी, सह़ीह़ुल अ़क़ीदा, सिन रसीदा के सिपुर्द कर दे और दुख़्तर को नेक पारसा औ़रत से पढ़वाए।

(42) बा'दे ख़त्मे क़ुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे।

(43) अ़क़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाए कि लौह़े सादा फ़ित़रते इस्लामी

---

1. "फ़तावा क़ाज़ी ख़ान" में है ह़ज़रते इमाम अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है : "انّه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل فى الدين فان كانا سواء يكره." या'नी : "औलाद में से किसी एक को ज़ियादा देने में कुछ ह़रज नहीं जब कि उसे दूसरी औलाद पर तरजीह़ व फ़ज़ीलत देना दीनी फ़ज़्ल व शरफ़ की वजह से हो, लेकिन अगर सब बराबर हों तो फिर तरजीह़ देना मक्रूह है।" ("الخانيه"، كتاب الهبة، ج٢، ص ٢٩٠)

"फ़तावा आ़लमगीरी" में है :

"لوكان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره كذا فى "الملتقط"." । "अगर बेटा ह़ुसूले इ़ल्म में मश्ग़ूल हो न कि दुन्यवी कमाई में तो ऐसे बेटे को दूसरी औलाद पर तरजीह़ देने में कोई मुज़ा-यक़ा नहीं।" ("الفتاوى الهنديه"، كتاب الهبة، الباب السادس، ج٤، ص ٣٩١)

व क़बूले हक़ पर मख़्लूक़ है (इस लिये कि बच्चा फ़ित़रतन दीने इस्लाम और हक़ बात क़बूल करने के लिये पैदा किया गया है) इस वक़्त का बताया पथ्थर की लकीर होगा ।

(44) हुज़ूरे अक़्दस, रह़मते आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم की मह़ब्बत व ता'ज़ीम उन के दिल में डाले कि अस्ले ईमान व ऐ़ने ईमान है ।

(45) हुज़ूरे पुरनूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم के आल व अस्ह़ाब व औलिया व उ़-लमा की मह़ब्बत व अ़-ज़मत ता'लीम करे कि अस्ल सुन्नत व ज़ेवरे ईमान बल्कि बाइ़से बक़ाए ईमान है (या'नी येह बातें ईमान की सलामती और बक़ा का ज़रीआ़ हैं) ।

(46) सात बरस की उ़म्र से नमाज़ की ज़बानी ताकीद शुरूअ़ कर दे ।

(47) इ़ल्मे दीन ख़ुसूसन वुज़ू, गुस्ल, नमाज़ व रोज़ा के मसाइल, तवक्कुल[1], क़नाअ़त[2], ज़ोहद[3], इख़्लास[4]

---

1. तवक्कुल की ता'रीफ़ :
"الثقة باللّٰه والايقان بانّ قضاءه ماض، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فى السعى فيما لا بدله منه من الاسباب." या'नी : "ज़रूरी अस्बाब के इख़्तियार करने में नबिय्ये अकरम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इत्तिबाअ़ करते हुए अल्लाह عَزَّوَجَلَّ पर भरोसा रखना और इस बात का यक़ीन रखना कि जो कुछ मुक़द्दर में है वोह हो कर रहेगा ।" ("القاموس الفقهية"، ج١٤، ص١٨٥)

2. क़नाअ़त की ता'रीफ़ : "هى السكون عند عدم المالوفات." या'नी : "रोज़ मर्रा इस्ति'माल होने वाली चीज़ों के न होने पर भी राज़ी रहना क़नाअ़त है ।" ("التعريفات" للجرجانى، ص١٢٦)

3. ज़ोह्द की ता'रीफ़ : "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشى ء الى ماهوخيرمنه." या'नी : "किसी चीज़ को छोड़ कर ऐसी उख़्रवी चीज़ की त़रफ़ रग़बत करना जो उस से बेहतर हो ।" ("احياء العلوم"، كتاب الفقروالزهد، ج٤، ص٢٦٧)

4. इख़्लास का मा'ना : "الاخلاص أن يقصدبالعمل وجهه ورضاه فقط دون غرض آخر." या'नी : "इख़्लास येह है कि बन्दा नेक आ'माल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा और ख़ुशनूदी के लिये करे ।" ("مرقاة المفاتيح"، كتاب العلم، ج١، ص٤٨٦)

तवाज़ोअ़[1], अमानत[2], सिद्क़[3], अ़द्ल[4], ह़या[5], सलामते सद्र व लिसान वग़ैरहा (दिल व ज़बान और दीगर आ'ज़ा की सलामती की)

---

1. तवाज़ोअ़ की ता'रीफ़ : ''الضعة خاطر فی وضع النفس واحتقارھاوالتواضع اتباعه.'' या'नी : ''अपने आप को ह़क़ीर और कमतर समझने को तवाज़ोअ़ कहते हैं।''

("منهاج العابدين"، الفصل الرابع، ص ٨١)

2. वदीअ़त व अमानत की ता'रीफ़ और फ़र्क़ :

''هی امانة ترکت عندالغیرللحفظ قصدًا، واحترزبالقیدالاخیرمن الامانة، وهی ماوقع فی یدالغیرمن غیرقصد.''

''या'नी : कोई चीज़ क़स्दन किसी दूसरे शख़्स की ह़िफ़ाज़त में देने का नाम ''वदीअ़त'' है जब कि कोई चीज़ ऐसे ही किसी की ह़िफ़ाज़त में आ जाए, अगर्चे इस में क़स्द व इरादा हो या न हो ''अमानत'' कहलाती है।'' ("التعريفات"، ص١٧٥) । **नोट :** अमानत व वदीअ़त में उ़मूम ख़ुसूस मुत्लक़ की निस्बत है कि हर वदीअ़त अमानत है लेकिन हर अमानत वदीअ़त नहीं. كمافی "الدر"، ج٨، ص٥٢٦: والوديعة هی اخصّ من الامانة

3. सिद्क़ की ता'रीफ़ : ''الصدق فی اللغة: مطابقة الحكم للواقع.'' या'नी : ''लुग़त में क़ाइल की बात का वाक़िआ़ के मुत़ाबिक़ होना सिद्क़ कहलाता है।'' ("التعريفات" للجرجانی، ص٩٥)

4. अ़द्ल की ता'रीफ़ :

''العدل عبارة عن الامرالمتوسط بين طرفی الافراط والتفريطوقيل: العدل مصدر بمعنی العدالة، وهوالاعتدال والاستقامة، وهوالميل الی الحق.''

या'नी : ''इफ़रात़ व तफ़रीत़ से बचते हुए दरमियानी रास्ता इख़्तियार करना, अ़द्ल कहलाता है, और येह भी कहा गया है कि : अ़द्ल मस्दर है जिस के मा'ना अ़दालत के हैं चुनान्चे अ़द्ल दर ह़क़ीक़त ''ए'तिदाल व इस्तिक़ामत'' है या'नी ह़क़ की त़रफ़ माइल होने को अ़द्ल कहते हैं।'' ("التعريفات" للجرجانی، ص١٠٦)

5. ह़या की ता'रीफ़ : (١) "الحياء تغيروانكسار يعتری الانسان من خوف مايعاب به اويذم." या'नी : ''किसी काम के इरतिकाब के वक़्त मज़म्मत और मलामत के ख़ौफ़ से इन्सान की ह़ालत का तब्दील हो जाना ह़या कहलाता है।'' ("عمدة القاری"، كتاب الايمان، باب امور الايمان، ج١، ص١٩٨)

(٢) "الحياء خلق يبعث علی ترك القبيح ويمنع من التقصيرفی حق ذی الحق." या'नी : ''ह़या वोह वस्फ़ है जो बुरे काम के तर्क पर उभारता है, और ह़क़दार के ह़क़ की अदाएगी में कोताही से मन्अ़ करता है।'' ("شرح صحيح مسلم"، للامام نووی، ج١، ص٤٧)

ख़ूबियों के फ़ज़ाइल (पढ़ाए नीज़), ह़िर्स व त़मअ़[1], हुब्बे दुन्या (दुन्या की मह़ब्बत), हुब्बे जाह[2], रिया[3], उ़ज्ब[4], तकब्बुर[5].....................

---

1. ह़िर्स की ता'रीफ़ :

''الحرص فرط الشره فی الارادة وفی "القاموس": اسوء الحرص ان تأخذنصیبك وتطمع فی نصیب غیرك.''

या'नी : ''ख़्वाहिशात की ज़ियादती के इरादे का नाम ह़िर्स है और ''क़ामूसुल मुह़ीत़'' में है : बुरी ह़िर्स येह है कि अपना ह़िस्सा ह़ासिल कर लेने के बा वुजूद दूसरे के ह़िस्से की लालच रखे।'' ("مرقاة المفاتیح"، کتاب الرقاق، باب الامل والحرص، ج۹، ص۱۱۹)

2. हुब्बे जाह : ''اصل الجاه هوانتشارالصيت والاشتهار.'' या'नी : ''लोगों में शोहरत और नामवरी चाहना हुब्बे जाह है।'' ("احیاء العلوم"، کتاب ذم الجاه والریاء، ج۳، ص۳۳۹)

3. रिया की ता'रीफ़ : ''الرياء ترك الاخلاص فی العمل بملاحظة غيرالله فيه.'' या'नी : ''इख़्लास के छोड़ देने का नाम ''रिया'' है चुनान्चे अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त جَلَّ وَعَلَا के इलावा किसी और का लिह़ाज़ रखते हुए कोई अ़मल करना रिया है।'' ("التعریفات" للجرجانی، ص۸۲)

4. उ़ज्ब की ता'रीफ़ : ''العجب هواستعظام النعمة، والركون اليها، مع نسيان اضافتها الى المنعم.'' या'नी : ''मुन्इ़मे ह़क़ीक़ी جَلَّ وَعَلَا की ने'मत व अ़त़ा को भूल कर किसी दीनी या दुन्यवी ने'मत को अपना ही कमाल तसव्वुर करना, और उस के ज़वाल से बे ख़ौफ़ हो जाना उ़ज्ब है।'' ("احیاء العلوم"، کتاب ذم الکبروالعجب، ج۳، ص ٤٥٤)

5. तकब्बुर की ता'रीफ़ : ''الكبر ان يرى الانسان نفسه اكبرمن غيره.'' या'नी : ''तकब्बुर का मा'ना येह है कि इन्सान ख़ुद को दूसरों से ज़ियादा बड़ा ख़याल करे।''

("مفردات امام راغب"، ص٦٩٧)

ह़दीसे पाक में है : ''ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ रिवायत करते हैं कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''जिस शख़्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो वोह जन्नत में नहीं जाएगा।'' एक शख़्स ने अ़र्ज़ की : एक आदमी येह पसन्द करता है कि उस का लिबास अच्छा हो और उस के जूते अच्छे हों, आप صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ((ان الله جمیل یحب الجمال، الكِبْرُبَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)). या'नी : ''अल्लाह तआ़ला जमील है और जमाल को पसन्द फ़रमाता है, तकब्बुर ह़क़ का इन्कार और लोगों को ह़क़ीर जानना है।'' ("صحیح مسلم"، کتاب الایمان، باب تحریم الکبروبیانه، ص ٦٠-٦١، رقم الحدیث:١٤٧)

ख़ियानत[1], किज़्ब[2], ज़ुल्म[3], फ़ोह्श[4], ग़ीबत[5], ह़सद[6], कीना[7]

1. ख़ियानत की ता'रीफ़ : ''الخيانة هو التصرّف فى الامانة على خلاف الشرع.'' या'नी : ''इजाज़ते शरइय्या के बिग़ैर किसी की अमानत में तसर्रुफ़ करना ख़ियानत है।''

("عمدة القارى"، كتاب الايمان، باب علامات المنافق، ج١، ص٣٢٨)

2. किज़्ब की ता'रीफ़ : ''الكذب: عدم مطابقة الخبر للواقع.'' या'नी : ''कहने वाले की बात का ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होना झूट है।'' ("التعريفات" للجرجانى، ص١٢٩)

3. ज़ुल्म की ता'रीफ़ :

''وضع الشیء فی غیر موضوعه، وفی الشريعة: عبارة عن التعدى عن الحق الى الباطل، وهو الجور.'' या'नी : ''किसी चीज़ को उस की जगह न रखना ज़ुल्म है और शरीअ़त में ज़ुल्म से मुराद येह है कि किसी का ह़क़ मारना या उस के साथ ज़ियादती करना।''

("التعريفات" للجرجانى، ص١٠٢-١٠٣)

4. फ़ोह्श की ता'रीफ़ : ''هو ماينفرعنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم.'' या'नी : ''फ़ोह्श, वोह बेहूदा बातें और बुरे अफ़्आ़ल हैं जिन से त़बीअ़ते सलीमा नफ़रत करे और अ़क़्ले सह़ीह़ ख़ामी क़रार दे।'' ("التعريفات" للجرجانى، ص١١٧)

5. ग़ीबत की ता'रीफ़ : ''ग़ीबत के येह मा'ना हैं कि किसी शख़्स के पोशीदा ऐ़ब को (जिस को वोह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्द न करता हो) उस की बुराई करने के त़ौर पर ज़िक्र करना।'' (''बहारे शरीअ़त'', जिल्द : 3, ह़िस्सा : 16, स. 149)

6. ह़सद की ता'रीफ़ : ''تمنى زوال نعمة المحسود الى الحاسد.'' या'नी : ''किसी शख़्स की ने'मत देख कर येह आरज़ू करना कि येह ने'मत इस से ज़ाइल हो कर मुझे मिल जाए।'' ("التعريفات" للجرجانى، ص٦٢)

7. कीना की ता'रीफ़ : ''दिल में दुश्मनी को रोके रखना और मौक़अ़ पाते ही उस का इज़्हार करना कीना है'',

كما فى "لسان العرب": "امساك العداوة فى القلب والتربُّص لفُرصتها. ("لسان العرب"، ج١، ص٨٨٨)

''الحِقد: ان يلزم قبله استثقاله، والبغضة له، والنفار عنه، وان يدوم ذلك ويبقى.'' या'नी : ''कीना येह है कि इन्सान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, दुश्मनी व बुग़्ज़ रखे, नफ़रत करे और येह बात हमेशा हमेशा बाक़ी रहे।''

("احياء العلوم"، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، ج٣، ص٢٢٣)

वग़ैरहा बुराइयों के रज़ाइल पढ़ाए।

(48) पढ़ाने सिखाने में रिफ़्क़ व नर्मी मल्हूज़ रखे।

(49) मौक़अ़ पर चश्म नुमाई, तम्बीह, तह्दीद करे (मुनासिब मौक़अ़ पर समझाए और नसीहत करे) मगर कोसना (बद दुआ़) न दे कि इस का कोसना उन के लिये सबबे इस्लाह् न होगा बल्कि और ज़ियादा इफ़्साद (बिगाड़) का अन्देशा है।

(50) मारे तो मुंह पर न मारे।

(51) अक्सर अवक़ात तह्दीद व तख़्वीफ़ पर क़ानेअ़ रहे (डराने धम्काने पर इक्तिफ़ा करे और) कोड़ा क़म्ची (छड़ी) उस के पेशे नज़र रखे कि दिल में रो'ब (ख़ौफ़) रहे।

(52) ज़मानए ता'लीम में एक वक़्त खेलने का भी दे कि त़बीअ़त नशात़ (चुस्ती) पर बाक़ी रहे।

(53) मगर जिन्हार......! जिन्हार......! (हरगिज़ हरगिज़) बुरी सोहबत में न बैठने दे कि यारे बद मारे बद (बुरी सोहबत ज़हरीले सांप) से बदतर है।

(54) न हरगिज़ हरगिज़ ''बहारे दानिश'', ''मीना बाज़ार'', ''मस्नवी ग़नीमत'' वग़ैरहा कुतुबे इश्क़िया व ग़-ज़लियाते फ़िस्क़िया देखने दे (इश्क़े मजाज़ी पर मुश्तमिल किताबों और फ़िस्क़ो फ़ुजूर से भरपूर ग़ज़लों को न पढ़ने दे) कि नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। सहीह़ ह़दीस से साबित है कि लड़कियों को ''सूरए यूसुफ़ शरीफ़'' का तरजमा न पढ़ाया जाए कि उस में मक्रे ज़नान (औरतों की ख़ुफ़्या चालों) का ज़िक्र फ़रमाया है, फिर बच्चों को ख़ुराफ़ाते शाइराना (मुबा-लग़ा आमेज़ बेहूदा बातों) में डालना कब बजा हो सकता है......!

(55) जब दस बरस का हो नमाज़ मार कर पढ़ाए।

(56) इस उ़म्र से अपने ख़्वाह किसी के साथ न सुलाए जुदा बिछोने, जुदा पलंग पर अपने पास रखे।

(57) जब जवान हो शादी कर दे, शादी में वोही रिआ़यते क़ौम व दीन व सीरत व सूरत मल्हूज़ रखे।[1]

(58) अब जो ऐसा काम कहना हो जिस में ना फ़रमानी का एह़तिमाल हो (अन्देशा हो तो) उसे अम्र व हुक्म के सीगे़ से न कहे बल्कि ब रिफ़्क़ व नर्मी बत़ौरे मश्वरा कहे, कि वोह बलाए उ़क़ूक़ (ना फ़रमानी की मुसीबत) में न पड़े।

(59) उसे मीरास से मह़रूम न करे जैसे बा'ज़ लोग अपने किसी वारिस को (मीरास) न पहुंचने की ग़रज़ से कुल जाएदाद दूसरे वारिस या किसी ग़ैर के नाम लिख देते हैं।

(60) अपने बा'दे मर्ग (इन्तिक़ाल के बा'द) भी उन की फ़िक्र रखे या'नी (ज़िन्दगी में) कम से कम दो तिहाई तर्का छोड़ जाए, सुलुस (एक तिहाई माल) से ज़ियादा ख़ैरात न करे।

येह **साठ ह़क़** तो पिसर व दुख़्तर (बेटा व बेटी) सब के हैं बल्कि दो ह़क़्क़े अख़ीर (दो आख़िरी हुक़ूक़, नम्बर 59 और 60) में सब वारिस शरीक, और **ख़ास पिसर** के हुक़ूक़ से है कि :

(61) उसे लिखना,

(62) पेरना (तैरना और),

(63) सिपह गरी (जंगी तरबिय्यत) सिखाए।

---

1. जैसा कि ह़क़ नम्बर 1 ता 3 में बयान हुवा।

(64) "सूरए माइदह" की ता'लीम दे ।

(65) ए'लान के साथ उस का ख़तना करे ।

ख़ास दुख़्तर के हुक़ूक़ से है कि :

(66) इस के पैदा होने पर ना ख़ुशी न करे बल्कि ने'मते इलाहिय्यह जाने ।

(67) उसे सीना पिरोना कातना (सिलाई, कढ़ाई) खाना पकाना सिखाए ।

(68) "सूरए नूर" की ता'लीम दे ।

(69) लिखना हरगिज़ न सिखाए कि एह़तिमाले फ़ितना (फ़साद का अन्देशा) है ।[1]

(70) बेटियों से ज़ियादा दिलजूई व ख़ातिर दारी रखे कि इन का दिल बहुत थोड़ा (छोटा) होता है ।

(71) देने में इन्हें और बेटों को कांटे की तोल बराबर रखे । (या'नी दोनों को देते वक़्त मुकम्मल अ़द्लो इन्साफ़ करे ।)

(72) जो चीज़ दे पहले इन्हें दे कर बेटों को दे ।

(73) नव बरस की उ़म्र से (बेटियों को) न अपने पास सुलाए न भाई वग़ैरा के साथ सोने दे ।

(74, 75, 76) इस उ़म्र से ख़ास निगह दाश्त शुरूअ़ करे, शादी बरात में जहां गाना नाच हो हरगिज़ न जाने दे अगर्चे ख़ास अपने भाई के यहां हो कि गाना सख़्त संगीन जादू है और इन नाज़ुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत

---

1. इस मस्अले की वज़ाहत मुफ़्ती आले मुस्त़फ़ा मिस्बाही़ साहिब مدظلہ العالی ने "फ़तावा अम्जदिय्या" के ह़ाशिये में फ़रमाई है जहां तफ़्सीली कलाम करने के बा'द आख़िर में इर्शाद फ़रमाते हैं कि : "अल ह़ासिल : अगर मुआ़-श-रती या ख़ानदानी या शख़्सी ह़ालात के पेशे नज़र औ़रतों को लिखना सिखाने में मुत़्लक़न एह़तिमाले फ़ित्ना न हो کما فی القرون الاولی तो जाइज़ होगा और अगर एह़तिमाल हो तो एह़तिमाल के मुत़ाबिक़ हुक्मे कराहत होगा کما فی زماننا۔" ("फ़तावा अम्जदिय्या" जि. 4, स. 259)

है, बल्कि हंगामों में जाने की मुत्लक़ बन्दिश करे (फंक्शनों में जाने से बिल्कुल रोक दे) घर को इन पर ज़िन्दां (क़ैदख़ाने की त़रह़) कर दे बालाखानों (छतों) पर न रहने दे।

(77) घर में लिबास व ज़ेवर से आरास्ता करे कि (निकाह़ के) पयाम, रग़बत के साथ आएं।

(78) जब कुफ़ू मिले निकाह़ में देर न करे।[1]

(79) ह़त्तल इम्कान बारह बरस की उ़म्र में बियाह दे।

(80) ज़िन्हार......! ज़िन्हार......! किसी फ़ासिक़ फ़ाजिर ख़ुसूसन बद मज़्हब के निकाह़ में न दे।

येह अस्सी ह़क़ हैं कि इस वक़्त की नज़र में अह़ादीसे मरफ़ूआ़ से ख़याल में आए इन में अक्सर तो **मुस्तह़ब्बात** हैं जिन के तर्क पर अस्लन मुआ-ख़ज़ा (गिरिफ़्त) नहीं...... और बा'ज़ (के तर्क) पर आख़िरत में मुत़ा-लबा हो, मगर दुन्या में बेटे के लिये बाप पर गिरिफ़्त व जब्र नहीं, न बेटे को जाइज़ कि बाप से जिदाल व नज़ाअ़ (लड़ाई झगड़ा) करे, **सिवा चन्द हुक़ूक़** के कि इन में जब्रे ह़ाकिम व चाराजूई व ए'तिराज़ को दख़्ल है। (चन्द हुक़ूक़ में ह़ाकिम को येह ह़क़ ह़ासिल है कि बेटे को ह़क़ देने दिलवाने के लिये बाप को मजबूर करे, और इसी त़रह़ बेटे को बाप के ख़िलाफ़ दा'वा दाइर करने और ए'तिराज़ करने का ह़क़ ह़ासिल है, जो मुन्दरिजए ज़ैल हैं :)

---

1. कुफ़ू के मस्अले की तफ़्सील बयान करते हुए सदरुश्शरीअ़ह बदरुत्तरीक़ह मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رحمة الله تعالى عليه "बहारे शरीअ़त" में फ़रमाते हैं कि "कुफ़ू के येह मा'ना हैं कि मर्द औ़रत से नसब वग़ैरा में इतना कम न हो कि उस से निकाह़, औ़रत के औलिया के लिये बाइसे नंग व आ़र हो, किफ़ाअत सिर्फ़ मर्द की जानिब से मो'तबर है औ़रत अगर्चे कम द-रजे की हो इस का ए'तिबार नहीं।"

मज़ीद इर्शाद फ़रमाते हैं कि : "किफ़ाअत में छ चीज़ों का ए'तिबार है : (1) नसब (2) इस्लाम (3) ह़िरफ़ा (पेशा) (4) हुर्रिय्यत (आज़ाद होना) (5) दियानत (6) माल।" ("बहारे शरीअ़त", जिल्द दुवुम, ह़िस्सा : 7, कुफ़ू का बयान, स. 46)

अव्वल : न-फ़क़ा कि बाप पर वाजिब हो और वोह न दे तो ह़ाकिम जब्रन मुक़र्रर करेगा, न माने तो क़ैद किया जाएगा, ह़ालां कि फ़ुरूअ़ (औलाद) के और किसी दैन में उसूल (या'नी वालिदैन) मह़बूस नहीं होते।

तरजमा : ''फ़तावा शामी'' में ''ज़ख़ीरा'' के ह़वाले से नक़्ल किया है : वालिद अपने बेटे के क़र्ज़ के सिल्सिले में क़ैद नहीं किया जा सकता ख़्वाह सिल्सिलए नसब ऊपर तक ब लिह़ाज़ बाप और नीचे तक ब लिह़ाज़ बेटा चला जाए अलबत्ता नान न-फ़क़ा न देने की सूरत में बाप को क़ैद किया जाएगा, क्यूं कि इस में छोटे की ह़क़ त-लफ़ी है।

فی "ردّ المحتار" عن "الذخیرۃ": (لا یحبس والد وان علا فی دین ولدہ وان سفل الّا فی النفقۃ؛ لانّ فیہ اتلاف الصغیر)[1]

दुवुम : रज़ाअ़त कि मां के दूध न हो तो दाई रखना, बे तन-ख़्वाह न मिले तो तन-ख़्वाह देना वाजिब, न दे तो जब्रन ली जाएगी जब कि बच्चे का अपना माल न हो, यूंही मां बा'दे त़लाक़ व मुरूरे इ़द्दत (त़लाक़ और इ़द्दत गुज़रने के बा'द) बे तन-ख़्वाह दूध न पिलाए तो उसे भी तन-ख़्वाह दी जाएगी كما فی "الفتح" و "ردّالمحتار" وغیرھما (जैसा कि ''फ़त्हुल क़दीर'' और ''रद्दुल मुह़तार'' वग़ैरा में है)।[2]

सिवुम : ह़िज़ानत (परवरिश) कि लड़का सात बरस, लड़की नव बरस की उ़म्र तक जिन औ़रतों म-सलन मां, नानी, दादी, ख़ाला, फुप्पी के पास रखे जाएंगे अगर इन में कोई बे तन-ख़्वाह न माने और बच्चा फ़क़ीर और बाप ग़नी है तो जब्रन तन-ख़्वाह दिलाई जाएगी كما اوضحه فی "ردّالمحتار" (जैसा कि ''रद्दुल मुह़तार'' में इस की वज़ाह़त की गई है)।[3]

---

(1) "ردّالمحتار"، کتاب الطلاق، باب النفقۃ، ج۵ ص۳٤٦

(2) "ردّالمحتار"، کتاب الطلاق، باب الحضانۃ، ج۵ ص۲٦۸

(3) "ردّالمحتار"، کتاب الطلاق، باب الحضانۃ، ج۵ ص۲٦٦

चहारुम : बा'द इन्तिहाए हिज़ानत बच्चे को अपनी हिफ़्ज़ व सियानत में लेना (लड़के को सात और लड़की को नव बरस बा'द अपनी हिफ़ाज़त और निगहबानी में रखना) बाप पर वाजिब है, अगर न लेगा हाकिम जब्र करेगा, "كما فی "ردّالمحتار" عن "شرح المجمع" (जैसा कि "शर्हुल मज्मअ़" से "रद्दुल मुह़तार" में नक़्ल किया गया है) ।[1]

पन्जुम : उन के लिये तर्का बाक़ी रखना कि बा'दे तअ़ल्लुक़े ह़क़्क़े विरसा या'नी ब ह़ालते म-रज़ुल मौत मूरिस इस पर मजबूर होता है यहां तक कि सुलुस से ज़ाइद में इस की वसिय्यत बे इजाज़ते वु-रसा नाफ़िज़ नहीं ।[2]

शशुम : अपने बालिग़ बच्चे, पिसर ख़्वाह दुख़्तर को ग़ैर कुफ़ू से बियाह (शादी कर) देना, या महरे मिस्ल[3] में ग़बन फ़ाहिश के साथ

---

1. "ردّالمحتار" كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٤٦.
2. म-रज़ुल मौत की हालत में वारिसों का ह़क़ मूरिस के तर्के से मु-तअ़ल्लिक़ हो जाता है, और इसी वजह से वारिस बनाने वाला अपना माल व अस्बाब वु-रसा के लिये छोड़ने पर शरअ़न मजबूर हो जाता है, यहां तक कि अगर मूरिस तिहाई माल से ज़ियादा वसिय्यत करे तो वारिसों की इजाज़त के बिग़ैर एक तिहाई माल से ज़ियादा में उस मूरिस की वसिय्यत जारी नहीं होगी ।
3. औ़रत के ख़ानदान की इस जैसी औ़रत का जो महर हो वोह उस के लिये "महरे मिस्ल" है म-सलन इस की बहन, फुप्पी, चचा की बेटी वग़ैरहा का महर । इस की मां का महर इस के लिये महरे मिस्ल नहीं जब कि वोह दूसरे घराने की हो, और अगर इस की मां इसी ख़ानदान की हो म-सलन इस के बाप की चचाज़ाद बहन है तो उस का महर इस के लिये महरे मिस्ल है और वोह औ़रत जिस का महर इस के लिये महरे मिस्ल है वोह किन उमूर में इस जैसी हो उन की तफ़्सील येह है : (1) उ़म्र (2) जमाल (3) माल में मुशाबेह हो (4) दोनों एक शहर में हों (5) एक ज़माना हो (6) अ़क़्ल व (7) तमीज़ व (8) दियानत (9) पारसाई व (10) इ़ल्म व (11) अदब में यक्सां हों (12) दोनों कंवारी हों या दोनों सय्यिब, (13) औलाद होने न होने में एक सी हों कि इन चीज़ों के इख़्तिलाफ़ से महर में इख़्तिलाफ़ होता है । शोहर का ह़ाल भी मल्हूज़ होता है म-सलन जवान और बूढ़े के महर में इख़्तिलाफ़ होता है । अ़क़्द के वक़्त इन उमूर में यक्सां होने का ए'तिबार है । बा'द में किसी क़िस्म की कमी बेशी हुई तो =

(या'नी बहुत ज़ियादा कमी या ज़ियादती के साथ निकाह़ करना) म-सलन दुख़्तर का महरे मिस्ल हज़ार है पानसो पर निकाह़ कर दिया, या बहू का महरे मिस्ल पानसो है हज़ार बांध लेना, या पिसर का निकाह़ किसी बांदी से या दुख़्तर का किसी ऐसे शख़्स से जो मज़्हब या नसब या पेशा या अफ़्आ़ल या माल में वोह नक़्स (ऐब) रखता हो जिस के बाइ़स उस से निकाह़ मूजिबे आ़र (शर्म का बाइ़स) हो, एक बार तो ऐसा निकाह़ बाप का किया हुवा नाफ़िज़ होता है जब कि नशे में न हो, मगर दोबारा अपने किसी ना बालिग़ बच्चे का ऐसा निकाह़ करेगा तो अस्लन सह़ीह़ न होगा كما قدمنا فى النكاح. (जैसा कि बह़्से निकाह़ में हम ने इसे पहले बयान कर दिया है) ।[1]

हफ़्तुम : ख़तना में भी एक सूरत जब्र की है कि अगर किसी शह्र के लोग छोड़ दें, सुल्ताने इस्लाम उन्हें मजबूर करेगा, न मानेंगे तो उन पर जिहाद फ़रमाएगा "كما فى "الدرّالمختار (जैसा कि "दुर्रे मुख़्तार" में है) ।[2]

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم

रिसाला : "**मश्अ़-लतुल इर्शाद**" ख़त्म हुवा ।

= इस का ए'तिबार नहीं म-सलन एक का जब निकाह़ हुवा था उस वक़्त जिस ह़ैसिय्यत की थी दूसरी भी अपने निकाह़ के वक़्त उसी ह़ैसिय्यत की है मगर पहली में बा'द को कमी हो गई और दूसरी में ज़ियादती या बर अ़क्स हुवा तो इस का ए'तिबार नहीं ।

("الدرّالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٧٣-٢٧٦)

अगर उस ख़ानदान में कोई ऐसी औ़रत न हो जिस का मह्र इस के लिये महरे मिस्ल हो सके तो कोई दूसरा ख़ानदान जो इस के ख़ानदान के मिस्ल है उस में कोई औ़रत इस जैसी हो, उस का मह्र इस के लिये महरे मिस्ल होगा । (عالمگیری)

("الفتاوى الهنديه"، كتاب النكاح، الباب السابع، ج١، ص٣٠٦)

("बहारे शरीअ़त", जिल्द दुवुम, ह़िस्सा : 7, मह्र का बयान, स. 62, 63)

1. "अल फ़तावर्र-ज़विय्यह", किताबुन्निकाह़, बाबुल वली, जि. 11, स. 579

2. "الدرّالمختار"، كتاب الخنثى، مسائل شتى، ج١٠، ص٥١٥

﴿مآخذ ومراجع﴾

نمبر شمار	کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
1	كنزالايمان	اعلیحضرت امام احمدرضاخان (ت۱۳۴۰ھ)	پاک کمپنی، اردو بازار لاهور
2	احياء علوم الدين	حجة الاسلام امام محمد الغزالي (ت۵۰۵ھ)	دارصادر، بيروت
3	التعريفات	سيد شريف الجرجاني (ت۸۱۶ھ)	دارالمنارللطباعة والنشر
4	الدرّالمختار	علامه علاء الدين الحصكفي (ت۱۰۸۸ھ)	دارالمعرفة، بيروت
5	بهارِ شريعت	صدرالشريعه امجد علی اعظمی (ت۱۳۶۷ھ)	مکتبه رضويه، کراچی
6	ردّالمحتار	علامه ابن عابدين الشامي (ت۱۲۵۲ھ)	دارالمعرفة، بيروت
7	نزهة النظر شرح نخبة الفكر	حافظ ابن حجر عسقلاني (ت۸۵۲ھ)	فاروقی کتب خانه، ملتان
8	شرح صحيح مسلم	امام يحی بن شرف النووی (ت۶۷۶ھ)	دارالحديث، ملتان
9	صحيح البخاري	امام محمد بن اسماعيل (ت۲۵۶ھ)	دارالكتب العلمية، بيروت
10	صحيح مسلم	امام مسلم بن حجاج القشيری (ت۲۶۱ھ)	دار ابن حزم، بيروت
11	عمدة القاری	علامه محمد بن احمد العينی (ت۸۵۵ھ)	بنگله اسلامک اکیڈمی
12	فتاوی امجديه	صدرالشريعه امجد علی اعظمی (ت۱۳۶۷ھ)	مکتبه رضويه، کراچی
13	فتاوی قاضی‌خان	حسن بن منصور قاضی خان (ت۵۹۲ھ)	مکتبه حقانيه، پشاور
14	فتاوی رضويه	امام اهلسنت احمدرضاخان (ت۱۳۴۰ھ)	رضا فاؤنڈیشن، لاهور
15	فتاوی هنديه	ملا نظام الدين اور ديگر علمائے كرام رحمهم الله	مکتبه رشيديه، لاهور
16	فتح البارى	حافظ ابن حجر عسقلاني (ت۸۵۲ھ)	دارالكتب العلمية، بيروت
17	فرهنگ آصفيه	مولوی سيد احمد دهلوی (ت....)	سنگ میل پبلیکیشنز، لاهور
18	كنزالعمال	علاء الدين علي الهندی (ت۹۷۵ھ)	دارالكتب العلمية، بيروت
19	لسان العرب	علامه محمد بن مكرم الافريقي (ت۷۱۱ھ)	مؤسسة الاعلمی للمطبوعات
20	مرآة المناجيح	مفتی احمد يار خان نعيمی (ت۱۳۹۱ھ)	ضياء القرآن پبليكيشنز، لاهور
21	مسندالفردوس	شيرويه بن شهردار الديلمي (ت۵۰۹ھ)	دارالفكر، بيروت
22	منهاج العابدين	حجة الاسلام امام محمد الغزالي (ت۵۰۵ھ)	دارالكتب العلمية، بيروت
23	مفردات الفاظ القرآن	علامه راغب اصفهانی (ت۴۲۵ھ)	دارالقلم، دمشق
24	وقارالفتاوی	مفتی وقارالدين قادری (ت۱۴۱۳ھ)	بزم وقارالدين، کراچی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आलमगीर ग़ैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की हिफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि **"मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये **"म-दनी इन्आ़मात"** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये **"म-दनी क़ाफ़िलों"** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

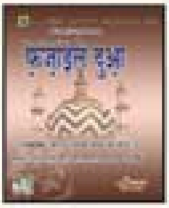

मक-त-बतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्प्लेक्स, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक फ़ोन : 08363244860